कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला दतिया म0प्र0

विज्ञप्ति

दतिया दिनांक 31/01/2017

देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो का निष्पादन वर्ष 2017-18

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि दतिया जिले में वर्ष 2017-18 अर्थात 01 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्र 27 दिनांक 18/01/2017 में प्रकाशित अधिसूचना क्र -7-ठेका/2017-18/15 कैम्प भोपाल दिनांक 18/01/2017 में वर्णित प्रकिया के अधीन आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र क-7-ठेका/2017-18/31 दिनांक 20/01/2017 मे उल्लेखित निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार 30/01/2017 को नवीनीकरण आवेदन की निर्धारित समय के पश्चात जिले की 54 देशी मदिरा एवं 15 विदेशी मदिरा दुकान की फुटकर बिक्री की दुकानों के 19 एकल समूहों हेतु लॉटरी आवेदन पत्र निम्न तिथि एवं समय तक प्राप्त कर कलेक्टोरेट भवन दतिया में जिला समिति द्वारा दिनांक 09/02/2017 को प्रातः 10:30 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक , प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों का नियमानुसार निराकरण कर निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी ।

क्र	विवरण	तिथि व समय
1	नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, दतिया से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10.30 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के दोपहर 03.00 बजे तक।
2	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, दतिया से दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 08 फरवरी 2017 के सायंकाल 05.30 बजे तक।
		कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 07 फरवरी 2017 के सायंकाल 05.30 बजे तक।
		आबकारी आयुक्त मध्यप्रदे ा के मोतीमहल स्थित कार्यालय में दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 06 फरवरी 2017 के सायंकाल 05.30 बजे तक। टीपः- आबकारी आयुक्त/संबंधित उपायुक्त कार्यालय में लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने पर तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।
3	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक प्राप्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 फरवरी 2017 को प्रातः 10.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि , आरक्षित मूल्य , आवेदन पत्रों का मूल्य एवं सलग्न किये जाने वाले अन्य अभिलेखों, निर्देशों आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय जिला दतिया से अवकाश दिवसों सहित कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी ।

टीपः मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति वेवसाईट www.datia.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है ।

कलेक्टर
जिला दतिया

पृ0क्र0/आब/ठेका/2017 दतिया दिनांक /01/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यिक कर विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त जनसंपर्क भोपाल म0प्र0 की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
4. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. जिला समिति के सदस्यो पुलिस अधीक्षक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर सूचनार्थ ।
7. जिला जन संपर्क अधिकारी दतिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
8. समस्त अनुविभागीया अधिकारी (राजस्व) तहसील ....जिला दतिया की ओर सूचनार्थ ।
9. समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी /आबकारी उपनिरीक्षक/मद्य भाण्डागार अधिकारी जिला दतिया की ओर सूचनार्थ ।
10. समस्त प्रशासक नगरपालिका/नगर पंचायत जिला दतिया की ओर सूचनार्थ ।
11. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

कलेक्टर
जिला दतिया